(वाद संख्या–5295/4/1/2020)

28.01.2022

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, मो0 नजरे आलम, सेवानिवृत सहायक उर्दू अनुवादक के पेंशन खाता सं0–10954263529 में जमा राशि की निकासी पर भारतीय स्टेट बैंक, फारबिसगंज द्वारा रोक लगाये जाने से संबंधित है।

उक्त पर भारतीय स्टेट बैंक, फारबिसगंज से प्रतिवेदन की मांग की गयी। भारतीय स्टेट बैंक, फारबिसगंज के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी, नजरे आलम द्वारा मो0 सईम रहमान के शिक्षा ऋण खाते में गांरटी दी गयी थी तथा इस हेतु दिनांक–16.03.2011 को उनके द्वारा गांरटी निष्पादन का करार किया गया था।

मो0 सईम रहमान द्वारा शिक्षा ऋण के किस्तों की समय से अदायगी न किये जाने के कारण उनका खाता दिनांक–31.12.2017 में **अमानक अस्ति** में वर्गीकृत हो गया जिसकी सूचना ऋणी एवं जमानतदार को समय–समय पर दिया गया। **ऋण वसूली हेतु गांरटीकर्त्ता (परिवादी), के खाते में रोक लगाया गया था जिसे दिनांक–27.10.2020 को ऋणी मो0 सईम रहमान द्वारा एक मुस्त समझौता राशि जमा कर बंद करने के बाद हटा दिया गया है।**

अब, जबकि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, फारबिसगंज के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक